

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ११, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 25/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितंबर, 2017

सा.का.नि.....(अ) – एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ११ के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 84 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"85	अध्याय 9996	फीफा अंडर -17 विश्व कप 2017 के तहत आयोजित होने वाले आयोजनों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं".

[फा.सं. 354/173/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 9/2017- एकीकृत कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से सा.का.नि. 684(अ), 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 1050 (अ.), दिनांक 22 अगस्त, 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं. 21/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।